



प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ, उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2026

विषय:- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगरा मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूँजी विनियोजन के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-53/2025/706/001 आगरा मेट्रो 1648352, दिनांक 03 जून, 2025, शासनादेश संख्या-63/2025/872/002 आगरा मेट्रो 1648352, दिनांक 31 जुलाई, 2025 एवं शासनादेश संख्या-85/2025/1202/003 आगरा मेट्रो 1648352, दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के क्रम में आपके पत्रांक-यू०पी०एम०आर०सी०/एफ-4/आगरा मेट्रो/1/103 दिनांक 08.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु कुल प्राविधानित धनराशि ₹ 93.00 करोड़ के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में मदवार धनराशि ₹ 10,00,00,000.00 (रुपये दस करोड़ मात्र) आहरित कर उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन लि०, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) आगरा मेट्रो रेल परियोजना/उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन को भूमि हेतु उपलब्ध कराया जा रहा सब-आर्डिनेट ऋण ब्याज मुक्त होगा तथा उक्त ऋण का प्रतिदान ऋण की अदायगी प्रधान ऋण के भुगतान किये जाने के पश्चात आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ द्वारा समय से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन की होगी तथा उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (5) उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किए जाने के सम्बंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (9) उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा परियोजना की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व उ०प्र० मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि 30 प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4217601900500 (आगरा मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूँजी विनियोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	002	4217601900500 आगरा मेट्रो रेल परियोजना में अंशपूँजी विनियोजन	30 निवेश/ऋण	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
	कुल			10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-864-X-2025-26-दिनांक:30-1-2026, मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव,

संख्या-28/2026/21(1)/004- आगरा मेट्रो 1648352, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (प्रथम एवं द्वितीय), 30 प्र0, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), 30 प्र0, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक (वित्त), 30 प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कारपोरेशन का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30 प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 30 प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्यय)अनुभाग-1 एवं 2 ।
11. नियोजन अनुभाग-4।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30 प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव,